FRNo.2675
26-9-12

D:\Choudhary ji\Legel.doc

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प021(1)साप्र/2/2012 जयपुर दिनांक 17.9.2012

:–आज्ञा:–

श्री हरिओम सिंह, कनिष्ठ लिपिक, पुलिस मुख्यालय जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियाता संख्या 6/2012 एवं सेवानिवृति दिनांक 31.3.2037 के आधार पर नियमो में शिथिलता प्रदान कर नियम 27 के तहत **"आउट ऑफ टर्न"** के आधार व उनकी मांग पर नियमानुसार किराय पर राजकीय आवास संख्या जी–833 गांधीनगर जयपुर (रिक्त होने की प्रत्याशा) निम्न शर्तो पर एतद्द्वारा आंवटित किया जाता है।

O.C.(Web.)
26-9-12

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आंवटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वत: निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूल नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवा रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चो के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/ क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियो को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम,1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नही रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के ओदश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आंवटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/ क्रय नही किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिला कलक्टर, जयपुर। 2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जयपुर। 4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी डायरी सं0 एफ–12004541 दिनांक 14.9.12 के क्रम में सूचनार्थ।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सा0प्र0 विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0!जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0? गॉधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, यौकी, गॉधीनगर, जयपुर।
9. संबंधित कर्मचारी।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा0प्र0वि0।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव